हुक्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी मुकाम

भंवर लाल बनाम राज० सरकार आदि

किस्म मुकदमा 131, 136 RLR Act नं. 64/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम ज[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
23/7/21	वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट मय वकील/प्रार्थना पत्र/ प्रार्थी विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/ रेस्पोन्डेन्ट्स के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स को नोटिस जरिये सम्मन जारी हो [illegible] दिनांक 27/7/2021 को पेश हो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	
27/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार बाड़ी से [illegible] तामील हुआ नोटिस प्राप्त तहसीलदार बाड़ी को मौका जाँच रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट दिनांक 28/7/2021 को पेश हो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी	
28/7/2021	पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट प्राप्त एवं शामिल मिसल [illegible] पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि नादभरत्त मारा जी [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

सेवागाँव के खेत खसरा सं. 140
रकबा 2.8315 हैक्टेयर जामे कार्य
किस्म बारानी चतुर्थ भूमि प्रार्थी
की कब्जाकाश्त एवं खातेदारी भूमि है।
जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा भी है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन
किया कि प्रार्थी की कब्जाकाश्त एवं
खातेदारी भूमि में तहसील वानकी
के राज्य सरकार के प्रोग्राम डि.आई.एल.
आर.एम.पी. के दौरान तहसील की
ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड प्रक्रिया के
दौरान लिपीकीय त्रुटिवश प्रार्थी के
खसरे एवं राजकीय भूमि के खसरे को
एक ही खसरे नं. 140 में सम्मिलित
कर दिया जिस कारण प्रार्थी अपनी
भूमि का बेचान जरिये बेचाननामा
करने पर नामान्तरकरण नहीं हो पा
रहा है। अतः प्रार्थी की भूमि का
खसरा व राजकीय भूमि का खसरा
अलग-अलग कर दूसरा नम्बर डाला
जावे एवं उक्त खसरे की तरमीम
शुद्धि का आदेश फरमावें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी
गई। बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
बाद बहस मनन एवं पत्रावली
अवलोकन प्रार्थी का मामला [illegible]
अपूरणीय क्षति एवं [illegible]
बनना पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR एक्ट
स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सेवागांव के खसरा सं० 140 रकबा 2.8315 हैक्टेअर किस्म बारानी-चतुर्थ में प्रार्थी एंव राजकीय भूमि का हिस्सा अलग-अलग कर राजस्व ~~तरमीम~~ रेकर्ड एंव नक्शे में तरमीम शुद्धि करें। ~~तहसीलदार~~ तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा सं० 140/12 रकबा 0.9742 हैक्टेअर किस्म बारानी-चतुर्थ प्रार्थी श्री भंवरलाल पुत्र हीराराम जाति सुथार सा. देह एवं गैरमुमकिन खसरा सं० 140 रकबा 1.8573 हैक्टेअर किस्म बारानी चतुर्थ राजकीय भूमि के नाम, राजस्व रेकर्ड एंव नक्शे में दोनो की अलग-अलग अमलदरामद करावें। तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को आदेश पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर एवं ... बावड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested